न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 54 / 2019 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2019 / 00961**
दायर दिनांक :– 01.03.2019 **निर्णय दिनांक :– 02.12.2024**

1. चन्दनसिंह पुत्र अचलसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी

–वादी

बनाम

1. बाबूराम पुत्र मेवाराम जाति मेगवाल निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
2. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः– 1. श्री राजेन्दसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादीगण
2. श्री मदनगोपाल शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

–:: निर्णय ::–

अधिवक्ता वादी ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आश्य से पेश किया है कि खसरा नम्बर 1073 कुल रकबा 39.10 बीघा सरहद मौजा बारू में स्थित है। उक्त भूमि पर वक्त सेटलमेंट एवं सेटलमें से पूर्व वादी के पिता अचलसिंह पुत्र धोंकलसिंह का कब्जा व काश्त था और उनके फौत होने के बाद उक्त भूमि पर वादी का कब्जा व काश्त चला आ रहा है। खसरा नम्बर 1073 रकबा 39.10 बीघा भूमि पर वक्त सेटलमेंट व सेटलमेंट से अचलसिंह पुत्र धोंकलसिंह का सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा व काश्त था लेकिन वक्त सेटलमेंट से उक्त सम्पूर्ण भूमि पर वादी के पिता का कब्जा व काश्त होने के बावजूद सरासर गलत तरीके से सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा बिना किसी कब्जा काश्त की जांच किये सुल्तानसिंह व सदारामसिंह पि. लिछमणसिंह के नाम सम्पूर्ण भूमि दर्ज कर दी गई जबकि उक्त भूमि के किसी भी हिस्से पर सुल्तानसिंह व सदारामसिंह पि. लिछमणसिंह का कब्जा व काश्त नहीं था लेकिन फिर भी सुल्तानसिंह व सदारामसिंह पि. लिछमणसिंह ने सेटलमेंट अधिकारियों से मिलावट कर उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में बिना कब्जा काश्त के अपना नाम दर्ज करवा लिया लेकिन सुल्तानसिंह व सदारामसिंह पि. लिछमणसिंह के अपने सम्पूर्ण जीवन काल तक उक्त भूमि के किसी भी हिस्से पर कब्जा व काश्त नहीं था और नही सुल्तानसिंह व सदारामसिंह पि. लिछमणसिंह के फौत होने के बाद सुल्तानसिंह व सदारामसिंह पि. लिछमणसिंह के वारिसान का उक्त भूमि के किसी भी हिस्से पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। इसलिये वादी ग्राम बारू पटवार क्षेत्र बारू के खसरा नम्बर 1073 रकबा 39.10 बीघा भूमि की खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी है। खसरा नम्बर 1073 रकबा 39.10 बीघा भूमि में सुल्तानसिंह व सदारामसिंह पि. लिछमणसिंह द्वारा सेटमेंट अधिकारियों से मिलावट कर राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

लिया था। उक्त गलत राजस्व इन्द्राजात का फायदा उठाते सुल्तानसिंह व सदारामसिंह पि. लिछमणसिंह ने अपने जीवन काल में उक्त भूमि का एक पारिवारिक बंटवाड़ा कर लिया था। जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 440 भरा जाकर स्वीकृत किया और उक्त नामान्तरकरण के जरिये खसरा नम्बर 1073 रकबा 20.00 बीघा गोपालसिंह पुत्र दीपसिंह, खसरा नम्बर 1073/1 रकबा 19.10 बीघा भूमि करणसिंह पुत्र जगमालसिंह के नाम दर्ज कर दी गई और गोपालसिंह ने उक्त 20.00 बीघा भूमि बोड़सिंह पुत्र मक्खनसिंह को बेचान कर दी तथा रीपालसिंह व बोड़सिंह ने उक्त भूमि आगे सीताराम पुत्र पेमाराम को बेचान कर दी जिसके आधार पर क्रमशः नामान्तरकरण संख्या 1664 व 1666 मौजा बारू भरा जाकर स्वीकृत हुआ। उक्त सम्पूर्ण भूमि सीताराम ने आगे गोविन्दराम पुत्र देवाराम को बेचान कर दी। उक्त बेचान के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1704 मौजा बारू भरा जाकर स्वीकृत हुआ, गोविन्दराम ने उकत भूमि आगे प्रतिवादी संख्या 1 को बेचान कर दी और प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 2037 व 2262 मौजा बारू भरा जाकर स्वीकृत हुआ। उक्त सम्पूर्ण बेचान मात्र कागजी बेचान है। जब उक्त भूमि पर सुल्तानसिंह व सदारामसिंह पि. लिछमणसिंह का कब्जा व काश्त ही नहीं था तो सभी केतागण व वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त होने का प्रश्न ही नहीं बनता है। उक्त विक्रय पत्र शुरू से ही वादी के खातेदारी अधिकारों के विरूद्व प्रभावहीन है। इसलिये वादी नामान्तरकरण संख्या 1666, 1664, 1704, 2037 व 2262 को निरस्त करवा कर खसरा नम्बर 1073 का सम्पूर्ण खाता को एकत्रित किया जाकर ग्राम बारू के खसरा नम्बर 1073 रकबा 39.10 बीघा में वादी को खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी है जिसका यह दावा पेश है।

वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की और से अधिवक्ता श्री मदन गोपाल शर्मा ने वकालतनामा व जवाब पेश कर कथन किया कि ग्राम बारू पटवार हल्का बारू के खसरा नम्बर 1073 रकबा 39.10 बीघा भूमि वर्तमान में मेरे नाम दर्ज है। शेष तथ्यों को वादी स्वंय साबित करे। पत्रावली में तनकीयात कायत की जाकर शामिल पत्रावली की गई। वाद के समर्थन में वादी की और से हाथीसिंह पुत्र अचलसिंह ने ने गवाह का शपथ पत्र पेश किया इनके बयान पी. डब्लू–1 कलमबद्व किये गये। वादी के पड़ोसी खातेदार गज्जारमा पुत्र उम्मेदाराम ने गवाह का शपथ पत्र पेश किया इनके बयान पी.डब्लू–2 कलमबद्व किये गये। भंवरसिंह पुत्र रेवन्तसिह ने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया इनके बयान पी.डब्लू–3 कलमबद्व किये गये। वादी चन्दनसिंह ने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया इनके बयान पी. डब्लू–4 कलमबद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि खसरा नम्बर 1073 कुल रकबा 39.10 बीघा सरहद मौजा बारू में स्थित है। उक्त भूमि पर वक्त सेटलमेंट एवं सेटलमें से पूर्व वादी के पिता अचलसिंह पुत्र धोंकलसिंह का कब्जा व काश्त था और उनके फौत होने के बाद उक्त भूमि पर वादी का कब्जा व काश्त चला आ रहा है। खसरा नम्बर 1073 रकबा 39.10 बीघा भूमि पर वक्त सेटलमेंट व सेटलमेंट से अचलसिंह पुत्र धोंकलसिंह का सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा व काश्त था लेकिन वक्त सेटलमेंट से उक्त सम्पूर्ण भूमि पर वादी के पिता का कब्जा व

बाप (फलोदी)

काश्त होने के बावजूद सरासर गलत तरीके से सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा बिना किसी कब्जा काश्त की जांच किये सुल्तानसिंह व सदारामसिंह पि. लिछमणसिंह के नाम सम्पूर्ण भूमि दर्ज कर दी गई जबकि उक्त भूमि के किसी भी हिस्से पर सुल्तानसिंह व सदारामसिंह पि. लिछमणसिंह का कब्जा व काश्त नहीं था लेकिन फिर भी सुल्तानसिंह व सदारामसिंह पि. लिछमणसिंह ने सेटलमेंट अधिकारियों से मिलावट कर उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में बिना कब्जा काश्त के अपना नाम दर्ज करवा लिया लेकिन सुल्तानसिंह व सदारामसिंह पि. लिछमणसिंह के अपने सम्पूर्ण जीवन काल तक उक्त भूमि के किसी भी हिस्से पर कब्जा व काश्त नहीं था और नही सुल्तानसिंह व सदारामसिंह पि. लिछमणसिंह के फौत होने के बाद सुल्तानसिंह व सदारामसिंह पि. लिछमणसिंह के वारिसान का उक्त भूमि के किसी भी हिस्से पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। इसलिये वादी ग्राम बारू पटवार क्षेत्र बारू के खसरा नम्बर 1073 रकबा 39.10 बीघा भूमि की खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी है। खसरा नम्बर 1073 रकबा 39.10 बीघा भूमि में सुल्तानसिंह व सदारामसिंह पि. लिछमणसिंह द्वारा सेटमेंट अधिकारियों से मिलावट कर राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा लिया था। उक्त गलत राजस्व इन्द्राजात का फायदा उठाते सुल्तानसिंह व सदारामसिंह पि. लिछमणसिंह ने अपने जीवन काल में उक्त भूमि का एक पारिवारिक बंटवाड़ा कर लिया था। जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 440 भरा जाकर स्वीकृत किया और उक्त नामान्तरकरण के जरिये खसरा नम्बर 1073 रकबा 20.00 बीघा गोपालसिंह पुत्र दीपसिंह, खसरा नम्बर 1073/1 रकबा 19.10 बीघा भूमि करणसिंह पुत्र जगमालसिंह के नाम दर्ज कर दी गई और गोपालसिंह ने उक्त 20.00 बीघा भूमि बोड़सिंह पुत्र मक्खनसिंह को बेचान कर दी तथा रीपालसिंह व बोड़सिंह ने उक्त भूमि आगे सीताराम पुत्र पेमाराम को बेचान कर दी जिसके आधार पर कमशः नामान्तरकरण संख्या 1664 व 1666 मौजा बारू भरा जाकर स्वीकृत हुआ। उक्त सम्पूर्ण भूमि सीताराम ने आगे गोविन्दराम पुत्र देवाराम को बेचान कर दी। उक्त बेचान के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1704 मौजा बारू भरा जाकर स्वीकृत हुआ, गोविन्दराम ने उकत भूमि आगे प्रतिवादी संख्या 1 को बेचान कर दी और प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 2037 व 2262 मौजा बारू भरा जाकर स्वीकृत हुआ। उक्त सम्पूर्ण बेचान मात्र कागजी बेचान है। जब उक्त भूमि पर सुल्तानसिंह व सदारामसिंह पि. लिछमणसिंह का कब्जा व काश्त ही नहीं था तो सभी केतागण व वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त होने का प्रशन ही नहीं बनता है। उक्त विकय पत्र शुरू से ही वादी के खातेदारी अधिकारों के विरूद्व प्रभावहीन है। इसलिये वादी नामान्तरकरण संख्या 1666, 1664, 1704, 2037 व 2262 को निरस्त करवा कर खसरा नम्बर 1073 का सम्पूर्ण खाता को एकत्रित किया जाकर ग्राम बारू के खसरा नम्बर 1073 रकबा 39.10 बीघा में वादी को खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी है

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया बाद मनन, अवलोकन एवं अध्ययन करने पर पाया गया कि विवादग्रस्त भूमि ग्राम बारू पटवार हल्का बारू तहसील बाप के खसरा नम्बर 1073 रकबा 20.00 बीघा व खसरा नम्बर 1073/1 रकबा 19.10 बीघा भूमि वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2073 अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रेकर्ड है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट 05.10.2019 साबित है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है परन्तु कब्जा काश्त चन्दनसिंह

02/12/19
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

का है वादग्रस्त भूमि पर चन्दनसिंह की रहवासीय ढाणी व पानी का टांका बना हुआ है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों, प्रतिवादी संख्या 1 के जवाब, पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि से वादी का वाद साबित नहीं होता है। वाद वादी दस्तावेजात के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण एवं भली भांति साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. चन्दनसिंह पुत्र अचलसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी

—वादी

बनाम

1. बाबूराम पुत्र मेवाराम जाति मेगवाल निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी

2. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :— 54 / 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी एवं हाजिर राजेन्दसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व मदनगोपाल शर्मा मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण एवं भली भांति साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। नीचे

मुतालिक
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
वसूल याबी तक

बाबत्
फीस सदी सालाना आज की तारीख
को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02.12.2024 को जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।